राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 147 / 2024 प्रार्थना पत्र

जीसीएमएस संख्या – 2024 / 255

अनवान

कमलेश पुत्र मिश्रीलाल जाति कलाल आयु बालिग निवासी दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

..................अप्रार्थी

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भीम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः– 12/11/2025

01. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इंस प्रकार है कि ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित भूमि के खाता संख्या 500 खसरा नम्बर 902 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी 1 है। उक्त वर्णित आराजियात पर आने जाने के लिए रास्ता जो बिलानाम भूमि के आराजी नम्बर 901 में से मुख्य रास्ता से मिलता है व उसमें प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान् अपने–अपने हिस्से अनुसार अपनी भूमि पर आते–जाते रहे है व उक्त आराजी नम्बर 901 बिलानाम भूमि होकर किस्म तलाई में खुला हुआ व उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने का रास्ता पूर्व में 901 में ग्राम पंचायत द्वारा बनाया हुआ है उससे लगती हुई प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान् उक्त आराजी पर आने जाने का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारी एवं असामाजिक तत्व के व्यक्तियों द्वारा उक्त रास्ते का अवरोध करते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमियों पर आने जाने हेतु रोकने का प्रयास करने लगे। भूमि सरकारी होने से लाभ उठाना चाह रहे है और आने जाने हेतु रोक रहे है उक्त रास्ता बिलानाम भूमि मे होने के कारण रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अपनी जमीनों पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है एक मात्र रास्ता उक्त आराजी नम्बर 901 से ही आ रहा है उक्त नम्बर 902 में ही उक्त भूमि पर आने जाने एवं निरंतर लम्बे समय से उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वर्णित भूमि से प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान् की खातेदारी में आने जाने वाला पुराना रास्ता जिससे अपने मवेशी, हकवाई हकत हेतु ट्रेक्टर, घास–फूस लाने ले जाने के लिए रास्ते को उक्त आराजी नम्बर 901 में से रास्ते का उपयोग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

Scanned with OKEN Scanner

उपभोग करते चले आ रहे है। अब असामाजिक तत्वों की रोक की वजह से उक्त खेतों में फसल काश्त करना मुश्किल हो रहा है।

अतः उक्त खसरे में से 15 फीट रास्ता प्रार्थी के रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए आने जाने हेतु डीएलसी से दिलाया जावे जिसकी राशि नियमानुसार प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी जाएगी तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रदत्त किया जाकर सार्वजनिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार भीम को आदेशित करें ताकि मै मेरी कृषि भूमि में सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकूं तथा कृषि उपज लाने ले जाने, भूमि को बोने आदि के लिए ट्रेक्टर आदि वाहन सुगमता पूर्वक ले जा सकूं।

02. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 16.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार भीम से मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 22.05.2025 को मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की प्रतियां पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर के आराजी खसरा नम्बर 902 में जाने हेतु प्रार्थी बिलानाम आराजी नम्बर 901 में पृथक से रास्ता कायम करना चाहता है जबकि प्रार्थी की स्वयं की खाता संख्या 500 खसरा संख्या 903 खातेदारी भूमि एनएच से लगती हुई है जिसमें प्रार्थी 9/20 हिस्से का खातेदार है जिसमें होकर प्रार्थी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58) तक पहुंच सकता है।

03. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, जमाबंदी की प्रति, नक्शा ट्रेस, व सुसंगत न्यायिक उद्धरणों, साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। इससे संबंधित कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया। उपरोक्त अनुसार प्रार्थी की आराजी ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर के आराजी खसरा नम्बर 902 में जाने हेतु प्रार्थी बिलानाम आराजी नम्बर 901 में पृथक से रास्ता कायम करना चाहता है प्रार्थी की स्वयं की खाता संख्या 500 खसरा संख्या 903 खातेदारी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से लगती हुई है जिसमें प्रार्थी 9/20 हिस्से का खातेदार है जिसमें होकर प्रार्थी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58) तक पहुंच सकता है। अतः पटवारी हल्का दिवेर की रिपोर्ट अनुसार पृथक से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पटवारी हल्का दिवेर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी की आराजी ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर के आराजी खसरा नम्बर 902 में जाने हेतु प्रार्थी बिलानाम आराजी नम्बर 901 में पृथक से रास्ता कायम करना चाहता है जबकि प्रार्थी की स्वयं की खाता संख्या 500 खसरा संख्या 903 खातेदारी भूमि एनएच से लगती हुई है जिसमें प्रार्थी 9/20 हिस्से का खातेदार है जिसमें होकर प्रार्थी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58) तक पहुंच सकता है। अतः तहसीलदार भीम की मौका रिपोर्ट अनुसार पृथक से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला राजसमंद

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)